फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत उप खण्ड अधिकारी मुकाम सूरजगढ़

महेन्द्र सिंह बनाम सहायक अभियन्ता अ०वि०वि०नि०लि० पिलानी वगै०

किस्म मुकदमा धारा प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. मुकदमा न० 162/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.10.2020	आज यह प्रार्थना पत्र बाद रिपोर्ट पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर हो। तलबी अप्रार्थीगण प्रस्तुत तलवाने पर जरिये नोटिस नकल प्रार्थना पत्र भेजकर की जावे। अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थना पत्र के विचारणीय बिन्दुओं पर अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनने से प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अरथाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि ख.नं. 288 खाता संख्या 389/311 वाके मौजा रायला के मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाये रखें। आदेश 39 रूल 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित हो। मिसल आयन्दा वास्ते तलबी अप्रार्थीगण हेतु दिनांक 08.12.2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़	
8-12-20	वकील पक्षकारान उपस्थित / पीठासीन अधिकारी अवकाश / भ्रमण / अन्य कार्य पर है। मिसल आमन्दा दिनाक दिनाक 4-1-21 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर	
04/01/21	वकील पक्षकारान उपस्थित / पीठासीन अधिकारी अवकाश / भ्रमण / अन्य कार्य पर है। मिसल आमन्दा दिनाक दिनाक 12-02-21 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर	
29/01/21	आज यह पत्रावली वाद पत्र तलब होने पर पेश हुई। मूल वाद पत्र वादी द्वारा नोट प्रेस में खारीज हो चुका है। इसलिए प्रार्थना के [illegible] कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थना पत्र [illegible] खारीज किया जाता [illegible] मुकम्मल व नम्बर से कम [illegible] बाद [illegible] जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।	

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:27:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner